प्रेषिका,

वीना नारायन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
जनपद–हापुड़।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद–हापुड़।

विषयः– **तीन वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त हो जाने पर वार्षिक स्थानान्तरण के स्थगन के सन्दर्भ में:–**

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद प्रताप्रगढ़ से जनपद हापुड़ दिनांक 08.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से हुआ था। वर्तमान में प्रार्थिनी विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ के रूप में कार्यरत है।

1. प्रार्थिनी की छोटी पुत्री शुभिता राकेश हापुड़ के स्वामी विवेकानन्द लॉ कॉलेज श्रीनगर डिग्री कॉलेज से एल.एल.बी. कर रही है, **Registration की कॉपी संलग्न** है।

2. साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थिनी वर्ष 2007 में स्लिप डिस्क से पीड़ित हुई थी, जिसका इलाज मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था तथा जिसका एम.आर.आई. इलाहाबाद में कराया था, जिसकी **रिपोर्ट संलग्न** है। दवाई के सेवन से प्रार्थिनी को आराम हो गया था।

3. तत्पश्चात् वर्ष 2016 में दोबारा स्लिप डिस्क का दर्द प्रारम्भ हुआ। उस दौरान प्रार्थिनी प्रतापगढ़ में कार्यरत थी। मई वर्ष 2017 मे प्रार्थिनी का स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से जनपद हापुड़ में हुआ। प्रार्थिनी के द्वारा जून 2017 में जे.पी. हॉस्पिटल नोएडा में दिखाया गया तथा एम.आर.आई. कराया गया, जिसमें बेनाइन टयूमर निकला, जिसका इलाज चला। जिसकी **रिपोर्ट संलग्न** है।

4. पुनः दिनांक 28 अक्टूबर 2017 को डॉ0 की सलाह पर एम.आर.आई. कराया तथा इलाज हुआ जिसकी **रिपोर्ट संलग्न** है।

5. तत्पश्चात् प्रार्थिनी को कोई भी आराम न होने के कारण पुनः मई 2019 को इण्डियन स्पाईनल इन्जरी सेन्टर, वसंत कुंज, नई दिल्ली में डा0 अंकुर नन्दा की ओ0पी0डी0 में चेकअप कराया तथा उक्त दिनांक को पुनः प्रार्थिनी का एम.आर.आई. हुआ।

डाक्टर द्वारा निरन्तर दवाई लेने का परामर्श दिया गया। **रिपोर्ट संलग्न** है।

6. प्रार्थिनी ने दिनांक 03 सितम्बर 2019 को स्वास्थ्य लाभ न होने के कारण नियो हॉस्पिटल, सैक्टर 60 नोएडा में डा0 राजीव मोटियानी की ओ0पी0डी0 में चेकअप कराया, जिसमें डाक्टर द्वारा निरन्तर दवाई लेने का परामर्श दिया गया। लगातार दवाई लेने के उपरान्त भी प्रार्थिनी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। **पर्चा संलग्न** है।

7. प्रार्थिनी ने दिनांक 16.09.2019 को गाजियाबाद के सर्वोदया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर में डा0 नवीन जैन से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श लिया। डा0 नवीन जैन ने उक्त बीमारी के उपचार हेतु All India Institute of Medical Science (AIIMS) Delhi में रेफर किया। **पर्चा संलग्न** है।

8. प्रार्थिनी ने दिनांक 24.10.2019 को All India Institute of Medical Science (AIIMS) Delhi में रूम नं0– 7 में डाक्टर कीरत सिंह की ओ0पी0डी0 में जॉच करायी, जिन्होंने मेरी सभी रिपोर्टो को देखकर सर्जन के यहॉ रेफर कर दिया। **पर्चा संलग्न** है।

9. प्रार्थिनी ने उसी दिनांक 24.10.2019 को रूम नं0 17 डा0 जी.डी. सत्यार्थी से पुनः परामर्श लिया। उनके द्वारा जॉच कर सर्जरी कराने को कहा तथा निरन्तर दवाई लेने का परामर्श दिया तथा समय–समय पर जॉच कराने का परामर्श दिया। **पर्चा संलग्न** है।

10. All India Institute of Medical Science (AIIMS) Delhi में Surgery की सलाह देने के पश्चात् तथा तुरन्त सर्जरी न कराये जाने, के कारण पुनः Neo Hospital, Sector -50, के डॉ0 राजीव मोटिनी के यहॉ दिनांक 31.10.2020 को दिखाया गया जिसका Treetment चल रहा है तथा **पर्चा संलग्न** है।

अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थिनी का स्थानान्तरण उक्त परिस्थितियों में स्थगन करने हेतु मेरा प्रत्यावेदन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

''आदर सहित''

भवदीया

Veena Narain
21.11.2020

दिनांक 21.11.2020

(वीना नारायन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
हापुड़।